

राजस्थान सरकार
निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाएं,
2, जलपथ, गांधी नगर, जयपुर।

क्रमांक:एफ.4(1)(316)पोषा./विविध/ICDS/2012/83065-97 जयपुर, दिनांक
23.6.16
उप निदेशक
महिला एवं बाल विकास विभाग,
समस्त।

विषय :- गरम पूरक पोषाहार की वैकल्पिक रेसीपी (Optional Recipe) के सम्बन्ध में।

संदर्भ :- विभागीय पत्र क्रमांक:-एफ.4(1)()पोषा./SIIG/ICDS/2009/
45943-46293 दिनांक 29.06.2010

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा आयुवर्ग 3 से 6 वर्ष के बच्चों को उपलब्ध कराये जा रहे गरम पूरक पोषाहार (दलिया/खिचड़ी) की रेसीपी का निर्धारण किया गया है। वर्तमान में उक्त रेसीपी हेतु प्रति लाभान्वित प्रतिदिन राशि रु. 3.50 निर्धारित है।

राज्य के विभिन्न जिलों में खान-पान में विविधता एवं लाभान्वितों में ग्राह्यता के दृष्टिगत लाभान्वितों को गरम पूरक पोषाहार के रूप में निम्नलिखित वैकल्पिक रेसीपीज (Optional Recipes) उपलब्ध कराई जा सकती है :-

(1) मक्का/बाजरा खिचड़ी

अव्यय	मात्रा (प्रतिदिन प्रति लाभान्वित ग्राम में)
बाजरा/मक्का (दलिया)	28.00
प्रोसेसड सोयाबीन	14.00
खाने योग्य तेल	10.50
गुड़	17.50
योग	70.00

प्रति 70 ग्राम मात्रा से प्रोटीन 9.30 ग्राम एवं 323.09 किलो कैलोरी

(2) बाजरा-सोया लड्डू

अव्यय	मात्रा (प्रतिदिन प्रति लाभान्वित ग्राम में)
बाजरा आटा	28.00
सोया आटा	14.00
खाने योग्य तेल	14.00
गुड़	14.00
योग	70.00

प्रति 70 ग्राम मात्रा से प्रोटीन 9.30 ग्राम एवं 341.18 किलो कैलोरी

(3) मक्का / बाजरा हलवा

अव्यय	मात्रा (प्रतिदिन प्रति लाभान्वित ग्राम में)
मक्का / बाजरा आटा	28.00
सोया आटा	14.00
खाने योग्य तेल	14.00
गुड़	14.00
योग	70.00

प्रति 70 ग्राम मात्रा से प्रोटीन 9.16 ग्राम एवं 335.86 किलो कैलोरी

उक्त रेसीपी वर्तमान में निर्धारित दरों के अन्तर्गत ही उपलब्ध कराई जायेगी। स्थानीय स्तर पर खाद्यान्न की उपलब्धता, लाभान्वितों में ग्राह्यता एवं रूचि के आधार पर रेसीपी के विकल्प का निर्धारण बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा सम्बन्धित उप निदेशक की सहमति से किया जायेगा। लाभान्वितों को प्रतिदिन उपलब्ध कराये जाने वाले गरम पूरक पोषाहार की रेसीपी को आंगनबाड़ी केन्द्रों पर उपलब्ध सूचना पट्ट पर प्रदर्शित किया जायेगा। उक्त वैकल्पिक रेसीपी (Optional Recipe) वर्तमान में प्रचलित रेसीपी खिचड़ी व दलिया के अतिरिक्त है। अतः नवीन रेसीपी का विकल्प ऐच्छिक है।

(डॉ. समित शर्मा)

निदेशक

समेकित बाल विकास सेवाएं,

राजस्थान जयपुर

जयपुर, दिनांक

23-6-16

क्रमांक: एफ.4(1)(316)पोषा./विविध/ICDS/2012/

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

- 1 विशिष्ट सहायक, मा. मंत्री महोदया, महिला एवं बाल विकास विभाग, राज. जयपुर।
- 2 निजी सचिव, शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, राज. जयपुर।
- 3 निजी सचिव, निदेशक, समेकित बाल विकास सेवाएं, राज. जयपुर।
- 4 समस्त अधिकारीगण, मुख्यालय।
- 5 बाल विकास परियोजना अधिकारी समस्त।
- 6 एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

(डॉ. ब्रज भूषण शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (पोषाहार)